भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. **131** जिसका उत्तर
शुक्रवार, **2 फरवरी**, **2024/13** माघ, 1945 (शक) को दिया जाना है

क्रूज उद्योग की क्षमता

†131. श्री मोहम्मद फैजल पी.पी. :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तीव्र विकास के लिए क्रूज उद्योग की क्षमता का उपयोग करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) क्या सरकार की क्रूज उद्योग संबंधी अपने लक्ष्यों की त्वरित प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए एक विनियामक ढांचे का प्रारूप तैयार करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) और (ख): सरकार ने नीचे दिए गए विवरण के अनुसार क्रूज उद्योग को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने हेतु इसकी घातीय वृद्धि के लिए कदम उठाए हैं:

(i) बर्थिंग के लिए क्रूज जलयान को कार्गो जलयान की तुलना में प्राथमिकता दी जाती है।

(ii) युक्तिसंगत क्रूज प्रशुल्क लागू किया गया।

क. बर्थ में ठहरने के पहले 12 घंटों के लिए पत्तन प्रभारों की वसूली $0.085/जीआरटी (निर्धारित दर) पर तथा $6 के प्रति मामूली यात्री कर की दर पर की जाती है।

ख. क्रूज पोतों को उनके आगमन की मात्रा के आधार पर 10% से लेकर 30% तक की छूट दी जाती है।

(iii) क्रूज जलयानों को आकर्षित करने के लिए आउस्टिंग प्रभारों को समाप्त कर दिया गया है।

(iv) ई-वीजा और आगमन वीजा सुविधाएं विस्तारित की गई हैं।

(v) एकल ई-लैंडिंग कार्ड लागू किया गया है, जो क्रूज यात्रा कार्यक्रम में सभी पत्तनों पर वैध है।

(vi) विदेश क्रूज जलयानों के लिए तट व्यापार (कैबोटेज) समाप्त कर दिया गया है। यह छूट इनकी घरेलू यात्रा के दौरान भारतीय नागरिकों को एक भारतीय पत्तन से दूसरे भारतीय पत्तन तक ले जाने की अनुमति देती है।

(vii) पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विदेश जाने वाले जलयान को तटीय यात्रा में परिवर्तित होने पर आईजीएसटी की सशर्त छूट प्रदान की गई है, बशर्ते यह छह महीनों के भीतर विदेश जाने वाले जलयान में पुन: परिवर्तित हो जाता है।

(viii) ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट, अक्तूबर, 2023 के दौरान हितधारकों की सहभागिता के साथ '2047 तक भारत में 50 मिलियन क्रूज यात्रियों को आकर्षित करने के लिए समुद्री यात्रा पर निकलें' तथा एक 'क्रूज लाइन्स के साथ राउंडटेबल' पर सत्र आयोजित किए गए थे।

(ix) नव मंगलूर, कोचिन, चेन्नै, मुरगांव और विशाखापट्टणम में क्रूज टर्मिनलों का उन्नयन और आधुनिकीकरण पूरा कर लिया गया है।

सरकार द्वारा एक मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई है, जिसका सीमा-शुलक, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), आव्रजन और पत्तन स्वास्थ्य संगठन (पीएचओ) के कार्यालयों के कार्मिकों द्वारा अनुपालन किया जाता है। इस एसओपी में राज्य सरकार की भूमिका भी प्रदान की गई है। क्रूज पत्तन प्रचालन बहु-आयामी होता है, अत:, पूरी प्रक्रिया में बहुत से पहलू शामिल हैं। एसओपी में स्टीमर एजेंटों से अधिसूचना प्राप्त होने पर विभिन्न प्राधिकारियों की भूमिका नीचे दिए गए अनुसार दर्शाई गई है:

(i) आव्रजन:- अंतर्राष्ट्रीय पैक्स/चालक दल और घरेलू पैक्स/ चालक दल के लिए विशिष्ट पद्धति को श्रेणी-वार बताया गया है।

(ii) सुरक्षा:- इसमें यात्रियों के चढ़ने और उतरने के समय केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की भूमिका विनिर्दिष्ट की गई है।

(iii) सीमा-शुल्क:- इसमें स्टीमर एजेंट से इलैक्ट्रॉनिक आगमन घोषणा पत्र प्राप्त होने पर सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा जलयान को मंजूरी देने की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट की गई है।

(iv) स्वास्थ्य:- पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी जलयान को जांच के बाद स्वास्थ्य की दृष्टि से सुरक्षित पाए जाने पर प्राटिक और स्वास्थ्य मंजूरी प्रदान करता है।

*****